



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT
ITO HQ TO CCIT-4, MUMBAI

सेवा में/ To, BOMBAY CITY EYE INSTITUTE & RESEARCH CENTRE PVT LTD - Victor Villa,5 BABULNATH ROAD Chowpatty MUMBAI, Maharashtra, India, 400007,	
---	--

स्थायी लेखा संख्या/ PAN: AABCB8258P	द.प.सं. एवं प्रपत्राक संख्या / DIN & Document No.: ITBA/COM/S/91/2026-27/1092633194(1)	दिनांक/ Dated: 27/08/2026
--	---	------------------------------

Intimation Letter

महोदय/महोदया/ मेसर्स,

Sir/ Madam/ M/s,

This is to inform you that Order/Notice/Letter dated 25/08/2026 is having Document No. (DIN)
ITBA/COM/M/17/2026-27/1092632410(1).

This is a system generated document and does not require any signature.

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
AAYAKAR BHAVAN, MAHARISHI KARVE ROAD, MUMBAI, Maharashtra, 400020
Email: MUMBAI.ITO.HQ4@INCOMETAX.GOV.IN,

Note:- The website address of the e-filing portal has been changed from www.incometaxindiaefiling.gov.in to www.incometax.gov.in.

* DIN- Document identification No.



कार्यालय
OFFICE OF THE
मुख्य आयकर आयुक्त -4
CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -4
कमरा नं. 371B, आयकर भवन,
ROOM NO. 371B, 3RD FLOOR, AAYAKAR BHAWAN,
महिर्ष कर्वे मार्ग, मुंबई-400 020
M.K. ROAD, MUMBAI 400020.

No.CCIT-4/Hospital Approval u/s.17(2)/2026-27

Date: 25/08/2026

आदेश:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के उप-खंड (ii)(b) के अंतर्गत अस्पताल का अनुमोदन (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) और आयकर नियम, 2026 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए)

Order: - Approval of Hospital under Sub-clause (ii)(b) of the Proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 (read with section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act 2025 and Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026)

सन्दर्भ:- निर्धारिती का आवेदन- 30/03/2026

Ref: - Assessee's Application Dated-30/03/2026

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के खंड (2) के उप-खंड (viii) के परंतुक के उप-खंड (ii)(b) के अंतर्गत अस्पताल का अनुमोदन (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) और आयकर नियम, 2026 के नियम 18 पढ़ा जाए) के तहत अस्पताल के अनुमोदन के लिए एक आवेदन मेसर्स बॉम्बे सिटी आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 7वीं मंज़िल, के.जी. मित्तल हॉस्पिटल, मरीन ड्राइव, मुंबई 400002 पैन-AABC8258P से प्राप्त हुआ था। तदनुसार, आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के अनुसार गहन निरीक्षण 17.07.2026 को आयकर निरीक्षक, कार्यालय-ACIT-5(1)(1), मुंबई और सीजीएचएस डॉक्टर सहित एक टीम द्वारा किया गया था।

An application for approval of Hospital under Sub-clause (ii)(b) of the Proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 (read with section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act 2025 and Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026) was received from M/s Bombay City Eye Institute & Research Centre Pvt. Ltd, 7th floor, K.G. Mittal Hospital, Marine Drive, Mumbai 400002 PAN-AABC8258P. Accordingly, thorough inspection as per Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 was done on 17.07.2026 by a team including Income Tax Inspector O/o ACIT-5(1)(1) and CGHS Doctor.

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के उपखंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (ख) के तहत (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) और आयकर नियम, 2026 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए) तथा आयकर नियम 1962 के नियम 3A में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेसर्स बॉम्बे सिटी आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 7वीं मंज़िल, के.जी. मित्तल हॉस्पिटल, मरीन ड्राइव, मुंबई 400002 पैन-AABC8258P को आयकर नियम, 1962 के 3 ए (2) में उल्लिखित चिकित्सा उपचार के संबंध में अनुमोदित किया जाता है।

In exercise of the powers vested in the undersigned under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961, read with in Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962, (read with section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act



2025 and Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026) approval is hereby granted to M/s Bombay City Eye Institute & Research Centre Pvt. Ltd, 7th floor, K.G. Mittal Hospital, Marine Drive, Mumbai 400002 PAN-AABC8258P for the purpose of the said sub-cause in respect of medical treatment mentioned in Rule 3A(2) of the Income Tax Rules, 1962.

3. तदनुसार, किसी नियोक्ता द्वारा वास्तव में किसी कर्मचारी द्वारा अपने या उसके परिवार के किसी सदस्य पर मेसर्स बॉम्बे सिटी आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 7वीं मंज़िल, के.जी. मिटल हॉस्पिटल, मरीन ड्राइव, मुंबई 400002 पैन-AABC8258P में नीचे दर्शाए तालिका के आयकर नियम 1962 के नियम 3 ए (2) में विहित रोग या बीमारियों के सम्बन्ध में किसी भी व्यय के भुगतान की गई कोई भी राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के तहत अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह की राशि कर्मचारी के हाथों में कर-मुक्त रहेगी।

Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her or any member of his/her family at M/s Bombay City Eye Institute & Research Centre Pvt. Ltd, 7th floor, K.G. Mittal Hospital, Marine Drive, Mumbai 400002 PAN-AABC8258P in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income-tax Rules, 1962, as mentioned in the table below shall not be treated as a perquisite for the purpose of Sections 15, 16 and 17 of the Income-tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee.

नियम 3क (2) :- धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के प्रयोजन के लिए, विहित रोग या बीमारियाँ निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

क्रमांक	उप नियम संख्या 1	रोग या बीमारी	स्वीकृत/अस्वीकृत
1.	3ए(2)(ए)	कर्क	नहीं
2.	3क(2)(ख)	क्षय	नहीं
3.	3ए(2)(सी)	एक्यार्ड इम्युनिटी डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स)	नहीं
4.	3ए(2)(डी)	हृदय रक्त, लसीका ग्रंथियों, अस्थि मज्जा, श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मूत्र प्रणाली, यकृत, पित्ताशय, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों या त्वचा की बीमारी या बीमारी, सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।	नहीं
5.	3ए(2)(ई)	आंख, कान, नाक या गले की बीमारी या बीमारी, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।	हां (सिर्फ आंखों के लिए)
6.	3ए(2)(एफ)	कंकाल प्रणाली के किसी भी हिस्से में फ्रैक्चर या कशेरुक की अव्यवस्था के लिए सर्जिकल ऑपरेशन या आर्थोपेडिक उपचार की आवश्यकता होती है	नहीं
7.	3ए(2)(जी)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन, सीजेरियन ऑपरेशन या लेप्रोस्कोपिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है	नहीं
8.	3ए(2)(एच)	(डी) में उल्लिखित अंगों की बीमारी या रोग, कम से कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है	नहीं
9.	3ए(2)(आई)	स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी बीमारी या रोग जिसके लिए अस्पताल में कम से कम लगातार तीन दिनों तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।	नहीं
10.	3ए(2)(जे)	बुरण चोट कम से कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है	नहीं
11.	3ए(2)(के)	मानसिक विकार - न्यूरोटिक या मनोविज्ञान - कम से कम तीन लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।	नहीं
12.	3ए(2)(एल)	नशीली दवाओं की लत कम से कम सात लगातार दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है	नहीं
13.	3 ए (2) (एम)	इंसुलिन के झटके, दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य एलर्जी अभिव्यक्तियों सहित एनाफिलेक्टिक झटके कम से कम तीन निरंतर दिनों के लिए अस्पताल में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।	नहीं



Rule 3A (2): - For the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the Proviso to [sub-clause (viii) of clause (2) of section 17], the prescribed diseases or ailments shall be the following namely: -

Sr. No.	Sub Rule No	Disease Or Ailment	Approved/ Dis-approved
1.	3A(2)(a)	Cancer	No
2.	3A(2)(b)	Tuberculosis	No
3.	3A(2)(c)	Acquired immunity deficiency syndrome (AIDS)	No
4.	3A(2)(d)	Disease or ailment of the heart blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system, urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation.	No
5.	3A(2)(e)	Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation.	Yes (Only for eyes)
6.	3A(2)(f)	Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrate requiring surgical operation or orthopedics treatment	No
7.	3A(2)(g)	Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention	No
8.	3A(2)(h)	Ailment or disease of the organs mentioned at (d), requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days	No
9.	3A(2)(i)	Gynaecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.	No
10.	3A(2)(j)	Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for a least three continuous days	No
11.	3A(2)(k)	Mental disorder -neurotic or psychology - requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.	No
12.	3A(2)(l)	Drug addiction requiring medical treatment in a hospital at least seven continuous days	No
13.	3A(2)(m)	Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reactions and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days.	No

4. नियोक्ता ऐसी राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कर कटौती करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

The employer will not be liable to deduct tax u/s 192 of the Income Tax Act, 1961 in respect of such sum.

5. प्रदान की गई स्वीकृति केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (b) (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) और आयकर नियम, 2026 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए) के प्रयोजन के लिए उपरोक्त पते पर स्थित अस्पताल तक ही सीमित है और इसे केंद्र सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त - 4, मुंबई या किसी वैधानिक अधिकारी की ओर से किसी भी अन्य प्रकार के उद्देश्य के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।



The approval accorded is limited only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to clause (viii) of sub-section (2) of Section 17 of the Income Tax Act, 1961 (read with section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act 2025 and Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026) to the hospital at the above address and should not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income Tax-4, Mumbai, or any other statutory authority under the Government for any other purpose.

6. यह अनुमति सशर्त है कि यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन तथ्यों की गलत प्रस्तुति और/या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है, या आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3क के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। साथ ही अनुमोदन को शासित करने वाले तथ्यों और प्रावधानों में भविष्य में संशोधनों के कारण आवश्यक होने पर भी अनुमति वापिस ली जा सकती है।

The approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained through misrepresentation of facts and / or by fraud, or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962 are not fulfilled and is subject to modification / withdrawal, if necessitated by subsequent changes in the facts and provisions governing the approval.

7. यह आदेश दिनांक 24/08/2029 तक प्रभावशील है। अनुमोदन का आदेश अस्पताल द्वारा आयकर नियम, 1962 के नियम 3ए के तहत निर्धारित वैधानिक शर्तों के निरंतर अनुपालन के अधीन है और यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में अन्य संशोधनों के भी अधीन है। यह अनुमोदन समय समय पर स्थानीय प्राधिकरणों / विभागों से प्राप्त नवीनीकरण की प्रतियां प्रस्तुत करने के अधीन भी है।

This order is effective till 24/08/2029. The order of approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962 necessary for such approval with such modifications as may be necessitated by any amendments to the provisions governing the approval under the Income Tax Act, 1961. This approval is also subject to the applicant further furnishing copies of renewals obtained from the local authorities/departments on expiry of their validity periods.

8. अस्पताल अपनी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें बीमारी या बीमारी जिसके लिए चिकित्सा उपचार दिया गया था और उपचार के लिए अस्पताल को भुगतान के माध्यम से किए गए व्यय की राशि और इस तरह के उपचार के लिए अस्पताल द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं को प्रासंगिक बिलों के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रमाण पत्र में इस आदेश के अनुसार वैधता की तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

The hospital shall issue a certificate to such employees availing its medical facilities specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred by way of payment to the hospital for treatments and medicines supplied by the hospital for such treatment along with relevant bills. The certificate should mention the date of validity as per this order.

9. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है: -

This order of approval is further subject to compliance of the following terms and conditions; -

- १) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है।
This approval is not transferable.



- ii) अस्पताल हर उचित समय पर आयकर विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा जो इस संबंध में विधिवत अधिकृत हैं।

The hospital shall at all reasonable times be open for inspection by such officers of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

- iii) अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (b) (आयकर अधिनियम 2025 की धारा 17(2)(b)(ii) और आयकर नियम, 2026 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए (1) और 3 ए (2) के साथ पढ़ा जाता है। यदि अस्पताल आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों में से किसी की भी अनुपालना करने में असमर्थ हो जाता है तो अस्पताल को अनिवार्य तौर पर ऐसे तथ्य/ तथ्यों की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को सूचित करना होगा।

The Hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 (read with section 17(2)(b)(ii) of the Income Tax Act 2025 and Rule 18 of the Income Tax Rules, 2026), read with Rule 3A (1) and 3A (2) of the Income-tax Rules, 1962. In the event that the Hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Income-tax Act, it will be mandatory on the part of the Hospital to notify such fact immediately, to the approving authority.

- iv) अनुमोदन के पुनः नवीकरण के लिए आवेदन इस वर्तमान अनुमोदन की समय सीमा की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

The application for renewal of approval should be submitted at least 60 days before the expiry of current approval.



निष्कर्ष

(निरूपमा कोतस्)

(Nirupama Kotru)

मुख्य आयकर आयुक्त-4, मुंबई।

Chief Commissioner of Income Tax-4, Mumbai.

Copy by email to:

- 1) The Joint Secretary, CBDT, New Delhi.
- 2) The Pr. Chief Commissioner of Income Tax, India.
- 3) All the Chief Commissioners of Income Tax, India.
- 4) All the Pr. Commissioner of Income Tax, India.
- 5) The Addl. Commissioner of Income Tax- 5(1), Mumbai.
- 6) The Assistant commissioner of Income Tax- 5(1)(1), Mumbai.
- 7) M/s Bombay City Eye Institute & Research Centre Pvt. Ltd, 7th floor, K.G. Mittal Hospital, Marine Drive, Mumbai 400002.

Nizdas

(नानिक एस उदासी)

(Nanik S Udasi)

आयकर अधिकारी (मुख्या), मु.आ.आ.-4, मुंबई।

ITO (HQ) to CCIT-4, Mumbai.